मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 112वीं बैठक दिनांक 25.10.2005 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः पूर्वान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री नवीन चन्द्र बाजपेई कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री अरूण कुमार मिश्र, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री डी0सी0 लाखा, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री शिव प्रकाश विशेष सचिव, वित्त
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
7.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक, सहकारी समितियाँ
8.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली	प्रतिनिधि	श्री एस0ए0 शमसी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी डी0एम0आई0, लखनऊ
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री बाबूराम, सहायक निदेशक
10.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री एस0के0 सिंह, कृषि निदेशक
11.	निदेशक (कृषि विपणन) कृषि विपणन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य	डा0 रजनीश दुबे निदेशक, कृषि विपणन
12.	प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित– प्रतिनिधि	श्री मनोज सिन्हा वन संरक्षक

13.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव	डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/ निर्णय
01.	मा0 परिषद की 111वीं बैठक दि0 23.07.2005 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 111वीं बैठक दिनांक 23.07.2005 की अनुपालन आख्या।	111वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
03.	आलू निर्यात प्रोत्साहन कार्ययोजना पर विचार का प्रस्ताव।	प्रस्तावानुसार आलू निर्यात प्रोत्साहन कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.	राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार फल/ शाकभाजी/ पुष्प के विपणन हेतु मण्डी स्थलों के निर्माण एवं पूर्व निर्मित मण्डी यार्डो के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना।	राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अधीन फल/ शाकभाजी/ पुष्प के विपणन हेतु मण्डी स्थलों के निर्माण एवं पूर्व निर्मित मण्डी स्थलों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु रू0 52.82 करोड़ की कार्ययोजना (वर्ष 2005–06) का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निश्चय हुआ कि नियाम, जयपुर के माध्यम से चयनित मण्डी स्थलों में राइपनिंग चैम्बर के अतिरिक्त कोल्ड रूम की स्थापना की भी टी0ई0एफ0आर0 तैयार करा ली जाये।
05.	कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत विशिष्ट उत्पाद मण्डी स्थल, फल/ सब्जी, मत्स्य बाजार व कृषक सेवा केन्द्रो के निर्माण हेतु संशोधित कार्ययोजना (वर्ष 2006–2010) के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत विशिष्ट उत्पाद मण्डी स्थल यथा फल/ सब्जी/ मत्स्य बाजार व कृषक सेवा केन्द्रो के निर्माण हेतु संशोधित कार्ययोजना (पी0आई0पी0) वर्ष 2006–2010 लागत रू0 43.76 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया। पी0आई0पी0 कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा।
06.	मण्डी परिषद/ समिति अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–975/दस–2005–41–05 दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के क्रम में राजकीय कर्मचारियों की भांति दिनांक 01.04.2005 से मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ने की कार्योत्तर स्वीकृति।	मण्डी परिषद/ समिति अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–975/ दस–2005–41–05 दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के क्रम में राजकीय कर्मचारियों की भांति दिनांक 01.04.2005 से मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
07.	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मृतक मण्डी सचिव स्व0 मनोज कुमार (प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम) की पत्नी श्रीमती ऊषा सिंह को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किए जाने विषयक प्रार्थना पत्र पर विचार हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मृतक मण्डी सचिव स्व0 मनोज कुमार की पत्नी श्रीमती ऊषा सिंह को मृतक आश्रित के रूप में उनकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुरूप मण्डी सहायक के पद पर सेवायोजित किया जाए।

08.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की कार्योत्तर पर विचार।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत 03 कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम हेतु रू0 1.30 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1.	मा0 संचालक मण्डल के निवर्तमान सदस्य के स्थान पर किसी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य नामित किये जाने का प्रस्ताव।	संचालक मण्डल में किसी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य नामित करने के लिए मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
2.	मण्डी सचिवों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) के पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	श्री रणवीर सिंह, श्री आर0एन0 सिंह एवं श्री अहिबरन लाल, मण्डी सचिव की सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) के पदों पर प्रतिनियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
3.	बांस पर मण्डी शुल्क/ विकास सेस लगाये जाने तथा स्टार पेपर मिल के प्रयोगार्थ प्रदेश के बाहर से आयातित लकड़ी पर लगाये गये मण्डी शुल्क के औचित्य पर विचार हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन (Subjudice) है, अतः मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जावे। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या– 12871/2002 मै0 जयप्रकाश प्रमोद कुमार व अन्य बनाम मण्डी परिषद व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–39605/2002 मै0 हर प्रसाद हरीशंकर व अन्य बनाम मण्डी परिषद व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2005 जिसमें बांस को लकड़ी के अन्तर्गत निर्दिष्ट कृषि उत्पाद माना है, की प्रति अनुपूरक प्रतिशपथ पत्र के साथ मै0 स्टार पेपर मिल की मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित रिट याचिका संख्या–2446/2005(एम0/एस0) में दाखिल करा दिया जाय।

	ह0/– **(डा0 रजनीश दुबे)** **मण्डी निदेशक** **सदस्य/ सचिव**
अनुमोदित ह0/–	
(शिवपाल सिंह यादव) **अध्यक्ष, मण्डी परिषद,** **उत्तर प्रदेश**	